

**STOP CORONA : Wash your Hands, Wear Mask, Maintain Social Distancing**

	<p><b>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI</b> <b>OFFICE OF DIRECTOR (A &amp; P)</b> <b>VARUNALAYA PHASE-II</b> <b>KAROL BAGH, NEW DELHI-110005</b> <b>PHONE:- 011-23544794</b> <b>E-mail:- djbdirector@gmail.com</b></p>	
---	---	---

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/2021/12

Dated : 28/07/2021

To

Shri Neeraj Aggarwal,  
Dy. Secretary, (Question Branch),  
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,  
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 116 due for 30.07.2021**  
**asked by Shri Saurabh Bhardwaj, MLA.**

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/VSS/Ques.Branch/6046 dated 22.07.2021 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

  
(Bansh Raj)  
Director (Admn.& Personnel)

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)  
Director (A&P)  
दिल्ली जल बोर्ड  
Delhi Jal Board

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)  
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 116

दिनांक :- 30.07.2021

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री सौरभ भारद्वाज , विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि एसपीएमएल/दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में मनमाने पानी के बिल भेजे जा रहे हैं;	क), ख) एवं ग):- पिछले कुछ समय में मैसर्स एसपीएमएल द्वारा की गई रीडिंग एवं बिलिंग में त्रुटियाँ पाई गई थी   बिल में त्रुटि पाए जाने पर बिल को ठीक किया गया   इसके अलावा निम्नलिखित कदम उठाये गए : <ul style="list-style-type: none"><li>• शिकायतें मिलने के पश्चात, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एसपीएमएल को पानी के मीटर लगाने व संचालन और अनुरक्षण के लिए दिए गए कार्य को जल बोर्ड द्वारा दिनांक 28.11.2019 को रद्द कर दिया गया   साकेत कोर्ट द्वारा इस आदेश को दिनांक 03.12.2019 को स्थगित कर दिया जिसके पश्चात यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है  </li></ul> एसपीएमएल मीटरों की रीडिंग तथा बिलिंग का कार्य क्षेत्रिय राजस्व कार्यालय द्वारा करने के लिए अधिग्रहण (takeover) करने की प्रक्रिया की जा रही है
ख)	यदि हाँ, तो जो उपभोक्ता एसपीएमएल के मनमाने बिलों द्वारा ठगे गए हैं, उन्हें क्या क्षतिपूर्ति प्रदान की जा रही है; और	
ग)	एसपीएमएल द्वारा दिए जा रहे मनमाने बिलों को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने क्या व्यवस्था की है?	

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)  
Director (A&P)  
दिल्ली जल बोर्ड  
Delhi Jal Board